

2020
0003

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर
बड़जलास-यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं 08/20

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. चैनसिंह पुत्र सोहनसिंह		1. ईश्वरलाल पुत्र मुकनलाल
2. झबरसिंह पुत्र सोहनसिंह		2. लीलाधर पुत्र पृथ्वीराज
3. नरपतसिंह पुत्र खीवसिंह		3. मदनलाल पुत्र पृथ्वीराज
4. करणसिंह पुत्र खीवसिंह		4. दीनदयाल पुत्र पृथ्वीराज
5. गणपतसिंह पुत्र छोगसिंह		5. लालीदेवी पत्नि पृथ्वीराज
6. राधाकंवर पत्नि शैतानसिंह		6. पृथ्वीराम पुत्र मुकनलाल
7. भंवरसिंह पुत्र शैतानसिंह		सभी जाति पालीवाल निवासी ढढू
8. उम्मेदसिंह पुत्र शैतानसिंह		7. तहसीलदार फलौदी
9. पेंपसिंह पुत्र शैतानसिंह		
10. जेटूसिंह पुत्र शैतानसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ढढू तहसील फलौदी		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री प्रवीण मदेरणा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री विकास चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 14/09/2020

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम ढढू तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 30 बीघा एवं खसरा संख्या 273/4 रकबा 7.15 बीघा कुल रकबा 37.15 बीघा एवं खसरा संख्या 273 रकबा 211 बीघा को नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी हिस्से में 7.04 बीघा भूमि एवं मार्क ई एफ जी एच हिस्से में 203.16 बीघा भूमि अप्रार्थीगण की व मार्क बी.सी ई एफ हिस्से में 37.15 बीघा भूमि प्रार्थीगण की रखी जाकर इसी अनुसार तरमीम दुरुस्त कि जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विकास चौधरी ने अपना वकालतनामा पेश किया।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरीये राजीनामा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरीये राजीनामा स्वीकार किया जाता है राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा संख्या 273/1 रकबा 37.15 बिघा भूमि संलग्न नक्शा संलग्न नजरी नक्शा में मार्क बी अनुसार तथा प्रतिवादीगण के हिस्से ग्राम ढढू के खेत खसरा संख्या 273 में रकबा 203.16 बिघा मार्क ए, खसरा संख्या 273/4 में रकबा 3.10 बिघा मार्क ई, खसरा संख्या 273/7 में रकबा 3.14 मार्क सी अनुसार भूमि रखी जाती है राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, फलौदी